

प्ररूप सं. 3गछ

[नियम 6(3) देखिए]

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(2कक) के अधीन वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम के अनुमोदन के लिए आवेदन

1. प्रायोजक का नाम और पता, टैलेक्स/फैक्स/फोन नम्बर सहित
.....
.....
2. प्रायोजक का ¹[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक]
.....
.....
3. प्रायोजक के कारबार/क्रियाकलाप की प्रकृति (जहाँ कहीं लागू हो, तुलन पत्र सहित सबसे अंतिम वार्षिक रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें)
.....
.....
4. पिछले तीन वर्ष के दौरान प्रायोजक का वार्षिक आवर्त
.....
.....
5. पिछले तीन वर्ष के दौरान प्रायोजक का वार्षिक अनुसंधान और विकास व्यय
.....
.....
6. अनुसंधान और विकास सुविधाएं तथा प्रायोजक के अनुसंधान और विकास संबंधी क्रियाकलाप
.....
.....
7. प्रायोजक द्वारा लिए गए तकनीकी सहयोगों के, यदि कोई हों, ब्यौरे
.....
.....
8. क्या प्रायोजक के पास कोई वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग/मान्यताप्राप्त घरेलू (इन-हाउस) अनुसंधान और विकास इकाई है? यदि हां, तो ब्यौरे दें।
.....
.....
9. वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम का प्रयोजन, जिसके लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(2कक) के अधीन अनुमोदन की ईप्सा की गई है [कार्यक्रम के उद्देश्य, क्रियान्वयन के प्रक्रम, प्रत्याशित परिणामों, वाणिज्यिक संभावनाओं, विदेशी मुद्रा की बचत और निर्यात की संभावनाओं के निबंधनों के अनुसार कार्यक्रम की उपयोगिता को (पृथक् उपबंधों में) दर्शित करते हुए अनुसंधान कार्यक्रम का संक्षेप में विवरण दें।]
.....
.....
.....
10. अनुसंधान कार्यक्रम आरम्भ करने की प्रस्तावित तारीख
.....
.....

1. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूललक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से “स्थायी खाता संख्यांक” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

11. प्रायोजक द्वारा कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली कुल निधियां

.....

12. पिछले चार वर्ष के दौरान प्रायोजक द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(2कक) के अधीन (वर्षवार) दावा की गई कटौतियों के ब्योरे।

.....

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई जानकारी हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

हम आयकर अधिनियम, 1961 और तदधीन बनाए गए नियमों में विहित शर्तों और कार्यक्रम के अनुमोदन के समय, हमारे बीच हुए करार के निबंधनों और शर्तों को पूरा करने का वचनबंध करते हैं।

स्थान

.....

तारीख

(प्रायोजक के हस्ताक्षर)

(नाम और पदनाम)

टिप्पण : प्रत्येक अनुसंधान कार्यक्रम के लिए पृथक् आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।